


19/8
२५

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व
वादी को आवाज लगाई गई।
बार-बार आवाज लगाने के
बावजूद भी वकील वादी व वादी
व्यायालय में हाजिर नहीं होने

परवादी का वाद अहम हाजरी अहम
परवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर
कम होकर वाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
दंडारासगढ़